

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

CIN: U40109RJ2000SGC016489

पंजीकृत कार्यालय विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर - 302005

Website: WWW.Jaipurdiscom.com

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई)

पुराना पावर हाऊस, राम मन्दिर के पास, बनीपार्क जयपुर
(फोन नं. 0141-2200334, फैक्स नं. 0141-2202241)

E-Mail: serejvnl@yahoo.co.in

क्र. जे.पी.डी./मु.अ.(प्रोजेक्ट्स)/ अधी.अभि.(आर.ई)/अधि.अभि.(एस.पी.पी)/प. / प्रे. 887 दिनांक 19/7/17


अधीक्षण अभियन्ता (पवस/ज.जि.वृ.),
जयपुर डिस्कॉम,
अलवर/भरतपुर/धौलपुर/द्वौसा/करौली/जयपुर/
झालावाड/बांरा/कोटा/बूंदी/सवाईमाधौपुर/टोंक

विषय :- "सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना " में प्रावधान व आवेदन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 821 दिनांक 07.07.17 द्वारा "सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना" के संबंध में निहित प्रावधान जारी किये गये थे।

इस क्रम में अब यह प्रावधान भी लागू किया गया है कि जो कृषि कनेक्शन आवेदक विद्युत वितरण निगमों में 3 एच.पी./5 एच.पी. के लिए सामान्य श्रेणी में पंजीकृत थे, उनके द्वारा उद्यानिकी विभाग में सोलर पम्प सैट स्थापित करने हेतु अपने कृषि कनेक्शन आवेदनों को समर्पित कर दिया था एवं इन आवेदकों को आज दिनांक तक सोलर कृषि कनेक्शन, उद्यानिकी विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है। ऐसे आवेदक भी रु. 1000/- पंजीकृत शुल्क जमा करवाकर एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा जारी सोलर कृषि पम्प स्थापित नहीं किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इनकी वरीयता मूल आवेदन की तिथि के अनुसार ही मानी जायेगी।

संलग्न :- प्रारूप प्रमाण पत्र


(डी.के.शर्मा)

अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई)
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक (तकनीकी) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
2. निदेशक, उद्यानिकी विभाग, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देशित करें।
3. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर जोन/भरतपुर जोन/कोटा जोन) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
4. अधीक्षण अभियन्ता (प्लान/पीपीएण्डएम), अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर/जोधपुर


अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कृषक श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....गाँवतहसील.....
जिला.....के खेत पर उद्यानिकी विभाग द्वारा सोलर पम्प संयंत्र स्थापित नहीं किया
गया है और न ही स्थापित करने की योजना है।

जारी करने की दिनांक :-

जिला स्तर अधिकारी (मय सील)
उद्यानिकी विभाग
जिला